



2026:AHC:59024

इलाहाबाद में न्यायाधिकरण का उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 9683 वर्ष 2026

देवी लाल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : राकेश कुमार वर्मा

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

न्यायालय सं. - 66

माननीय समीर जैन, न्यायमूर्ति

1. श्री राकेश कुमार वर्मा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से श्री शिवाजी श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता और श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.)को सुना गया।

2. यह वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से अपराध संख्या 278 वर्ष 2024, आईपीसी की धाराओं 498-क और 304 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना किरावली,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिला आगरा में विचारण की लंबितता के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक मृतका का पति है, किंतु झूठे आरोप के आधार पर उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में मृतका तेज स्वभाव की महिला थी और वैवाहिक मामलों के कारण अक्सर पति-पत्नी के बीच विवाद होता था और घटना की तिथि को फिर ऐसा विवाद हुआ और इस बार आवेश में उसने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यह सुझाती है कि उसकी मृत्यु फाँसी लगाने से हुई।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि मृतका की मृत्यु दिनांक 23.5.2024 को हुई किंतु इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 4.10.2024 को, अर्थात् चार महीने से अधिक के बाद धारा 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदन के माध्यम से दर्ज की गई और धारा 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदन भी देरी से किया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अत्यधिक विलंब के संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस मामले को छोड़कर आवेदक का कोई पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में वह दिनांक 8.11.2024 से, अर्थात् लगभग डेढ़ वर्ष से जेल में है।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) ने यद्यपि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर उठाए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

9. यद्यपि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के लगभग एक माह के भीतर असामान्य परिस्थितियों में वैवाहिक घर में हुई है और एक मोटरसाइकिल तथा पचास

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हजार रुपये की माँग के संबंध में यातना का भी आरोप है, किंतु मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह सुझाती है कि उसकी मृत्यु फाँसी लगाने से हुई है और इसलिए इस स्तर पर मृतका द्वारा आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और विवाह की अल्प अवधि को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकट आत्महत्या का कारण भी इस स्तर पर नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा, इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत आवेदन के माध्यम से चार महीने से अधिक की देरी से अत्यंत विलंब से दर्ज की गई है।

10. इसके अलावा, आवेदक का कोई पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में दिनांक 8.11.2024 से, अर्थात् लगभग डेढ़ वर्ष से जेल में है।

11. इसके अलावा, विधि यह स्थापित है कि जब तक दोषी सिद्ध न हो, अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को दंडात्मक या निवारक उद्देश्यों के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

12. इसलिए, उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

14. आवेदक-**देवी लाल** को उपरोक्त मामले में निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को तथ्य बताने से हतोत्साहित करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

15. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्तीकरण के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ पक्षकारों द्वारा जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

मार्च 23, 2026

एस.के.एम.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।